न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—56 / 2022 (2022 / 216) वादपत्र

उनवान

1. डाली देवी पत्नि पोखरलाल रेगर निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. लालीदेवी पत्नि गणेशलाल नायक निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीया

1. फारूख मोहम्मद मंसुरी —

दिनांक 08.02.2023

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 21.06.2022 के द्वारा वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के शामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1463 रकबा 0.95 है0, आराजी संख्या 1464 रकबा 0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि में वादीया का 1 / 2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 2 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 22.08.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है एवं वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया द्वारा वादवर्णित आराजियात में अपना 1 / 2 हिस्सा विक्रय कर दिया गया जिसका विक्रय पत्र वादीया के बजाय डाली देवी पत्नि पोखरलाल रेगर के नाम निष्पादित करवा दिया गया है जिससे वादी के बजाय डाली देवी को पक्षकार संयोजित किया जावे। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 732 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1463 / 1 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 1464 रकबा 0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है0 भूमि डालीदेवी पत्नि पोखरलाल रेगर सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1463/2 रकबा 0.52 है0 भूमि लालीदेवी पत्नि गोणशलाल नायक सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1463/[illegible] 04 है0 भूमि डालीदेवी पत्नि पोखरलाल रेगर 1/2, लालीदेवी पत्नि गोणशलाल नायक 1/2 सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार तहसीलदार रायपुर अमल दरामद कर आगे अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.30 17:25:04 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—56/2022 (2022/216) वादपत्र

उनवान

1. डाली देवी पत्नि पोखरलाल रेगर निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. लालीदेवी पत्नि गणेशलाल नायक निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 732 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1463/1 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 1464 रकबा 0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है0 भूमि डालीदेवी पत्नि पोखरलाल रेगर सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1463/2 रकबा 0.52 है0, भूमि लालीदेवी पत्नि गोणशलाल नायक सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1463/3 रकबा 0.04 है0 भूमि डालीदेवी पत्नि पोखरलाल रेगर 1/2, लालीदेवी पत्नि गोणशलाल नायक 1/2 सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 08.02.2023 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.30 17:25:04 IST
Reason: SelfAttested